

जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर

क्रमांक : जोधपुर डिस्कॉम/अअ-पी०पी०एण्ड एम०/फा० सामान्य शाखा/प्रे० 579

दिनांक 14.6.2002

आदेशविषय :- बड़े कृषि श्रेणी में हुये भार की स्वैच्छिक नियमन ।

निगम द्वारा जनरित में कृषि के उपभोक्ताओं द्वारा बड़े हुये भार की 30 सितम्बर 2002 तक स्वैच्छिक घोषणा करने पर इस कार्यालय के आदेश संख्या क्रमांक : जोधपुर डिस्कॉम/अअ-पी०पी०एण्ड एम०/फा० सामान्य शाखा/प्रे० 578 दिनांक 14.6.2002 (आर.ई.ओ. 10) के द्वारा रियायत दी गई है ।

निगम के वरिष्ठ अधिकारियों से विचार-विमर्श करके यह निर्णय लिया है कि 30 सितम्बर 2002 तक विद्युत निगम के अधिकारीगण कृषकों के कुओं की सर्वे जांच करेंगे ता कि स्थापित स्वीकृत भार से अधिक भार पाये जाने पर उपभोक्ता के स्वीकृत भार बढ़ाने का कार्यवाही करेंगे । इस सर्वे के दौरान कोई भी अधिभार के मामले न बनकर ऐसे मामले ता अभियान के तहत प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों का त्वरित गति से बड़े हुये भार को स्वीकृत जारी की जावे तथा अगले माह से बड़े हुये भार के बिल जारी होना सुनिश्चित करे अधिकारीगण तुरन्त लोडिंग व सब-स्टेशन यदि हो तो निस्तारित करें । इन सभी मामलों में सहाय अभियन्ता भार वृद्धि स्वीकृत करने के लिये प्रविष्ट रहेंगे ।



(एन०एस०देवड़ा)

उप-मुख्य अभियन्ता(मुख्यालय),
जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर ।